महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय

MAHARAJA GANGA SINGH UNIVERSITY

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर-334004 (राजस्थान) भारत
NH 15, Jaisalmer Road, Bikaner-334004 (Rajasthan) India
दूरभाष/Phone: 0151-2210076 फैक्स/Fax: 2212042 ई-मेल/E-mail: [illegible]

क्रमांक : एफ.07(126)/मगंसिंविबी/शैक्ष./2021/16998-17051 दिनांक : 29/11/21

समस्त माननीय सदस्य,
विद्या परिषद,
महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय,
बीकानेर।

विषय : विद्या परिषद् की 20वीं बैठक दिनांक 22.11.2021 का कार्यवाही विवरण भिजवाने बाबत्।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 22.11.2021 को आयोजित विद्या परिषद की 20वीं बैठक का कार्यवाही विवरण इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। कार्यवाही विवरण में अंकित निर्णय के सम्बन्ध में यदि किसी माननीय सदस्य को आपत्ति हो तो कृपया 07 दिवस में लिखित आपत्ति ई-मेल registrar@mgsubikaner.ac.in पर प्रेषित करने की कृपा करावें।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

कुलसचिव

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

दूरभाष:0151 .2970177 ई :मेल-registrar@mgsubikaner.ac.in

विद्या परिषद् 20 वीं बैठक

पत्रांक:-16998-1705 दिनांक 29/11/21

कार्यवाही विवरण

विद्या परिषद की 20 वीं बैठक दिनांक 22–11–2021 को प्रातः 11:30 बजे महर्षि शौनक भवन (कुलपति सचिवालय) के विद्या परिषद् सभागार में आयोजित हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

1	प्रो. विनोद कुमार सिंह, माननीय कुलपति	अध्यक्ष
2	प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल, संकायाध्यक्ष कला	सदस्य
3	डॉ. जी.पी. सिंह, संकायाध्यक्ष विज्ञान	सदस्य
4	डॉ. भगवानाराम विश्नोई, संकायाध्यक्ष विधि	सदस्य
5	डॉ. बी.एस. रतन, संकायाध्यक्ष सामाजिक विज्ञान	सदस्य (ऑनलाईन)
6	डॉ. मीनू पूनियां, संकायाध्यक्ष वाणिज्य	सदस्य (ऑनलाईन)
7	डॉ. मिनाक्षी मिश्रा, संकायाध्यक्ष शिक्षा	सदस्य
8	प्रो. राज सेनानी, माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा नामित	सदस्य (ऑनलाईन)
9	डॉ. राकेश हर्ष, सहायक निदेशक–कॉलेज शिक्षा प्रतिनिधि, शासन सचिव, उच्च शिक्षा,	सदस्य
10	डॉ. श्रवण कुमार सैनी राज्य सरकार द्वारा नामित प्राचार्य, सरकारी महाविद्यालय	सदस्य
11	डॉ. बी. एल. विश्नोई, राज्य सरकार द्वारा नामित प्राचार्य, निजी महाविद्यालय	सदस्य (ऑनलाईन)
12	डॉ. निधि अग्रवाल, राज्य सरकार द्वारा नामित	
13	प्रो. राजाराम चोयल, माननीय कुलपति महोदय द्वारा नामित	सदस्य
14	डॉ. शालिनी मूलचंदानी, संयोजक–हिन्दी	सदस्य
15	डॉ. शेर मोहम्मद, संयोजक– वनस्पतिशास्त्र	सदस्य (ऑनलाईन)
16	डॉ. विजय श्री, संयोजक – रसायनशास्त्र	सदस्य
17	डॉ. ज्योति लखाणी, संयोजक–कम्प्यूटर विज्ञान	सदस्य
18	प्रो. अनिल कुमार छंगाणी, संयोजक पर्यावरण विज्ञाप	सदस्य (ऑनलाईन)
19	डॉ. शिशिर शर्मा, संयोजक भू–गर्भ विज्ञान	सदस्य (ऑनलाईन)
20	डॉ. रचना माथुर, संयोजक–गणित	सदस्य

Scanned with CamScanner

21	डॉ. गौतम कुमार मेघवंशी, संयोजक, सूक्ष्म जीव विज्ञान	सदस्य
22	डॉ. रविन्द्र मंगल, संयोजक– भौतिक विज्ञान	सदस्य
23	श्री संतलाल, संयोजक –प्राणीशास्त्र	सदस्य
24	डॉ. सीमा शर्मा, संयोजक –अंग्रेजी	सदस्य
25	डॉ. नन्दिता सिंघवी, संयोजक –संस्कृत	सदस्य
26	डॉ. सुमित्रा चारण, संयोजक–दर्शनशास्त्र	सदस्य (ऑनलाईन)
27	डॉ. इन्द्रसिंह राजपुरोहित – संयोजक–चित्रकला	सदस्य (ऑनलाईन)
28	डॉ. नरेन्द्र नाथ, संयोजक–राजनीति विज्ञान	सदस्य (ऑनलाईन)
29	डॉ. राजेश भाकर, संयोजक–भूगोल	सदस्य
30	डॉ. ज्योति कपूर, संयोजक–अर्थशास्त्र	सदस्य (ऑनलाईन)
31	डॉ. इन्द्रा गोस्वामी, संयोजक–गृह विज्ञान	सदस्य
32	डॉ. श्याम सुन्दर ज्याणी, संयोजक– समाजशास्त्र	सदस्य
33	डॉ. साधना भण्डारी, संयोजक–लोक प्रशासन	सदस्य
34	डॉ. अम्बिका ढाका, संयोजक– इतिहास	सदस्य
35	डॉ. डी.एस. पूनिया, संयोजक–ए.बी.एस.टी.	सदस्य
36	डॉ. पंकज जैन, संयोजक –व्यवसायिक प्रशासन	सदस्य
37	डॉ. आशा शर्मा, संयोजक– ई.ए.एफ.एम.	सदस्य
38	डॉ. अनन्त जोशी, संयोजक विधि	सदस्य
39	डॉ. सतपाल स्वामी, संयोजक–शिक्षा	सदस्य
40	डॉ. यशवंत गहलोत, संयोजक–शारीरिक शिक्षा	सदस्य
41	डॉ. ऋषभ जैन, संयोजक–संगीता	सदस्य (ऑनलाईन)
42	डॉ. नरेश पंवार, संयोजक–सूक्ष्म तकनीकी विज्ञान	सदस्य
43	डॉ. अमर सिंह, संयोजक– सैन्य विज्ञान	सदस्य
44	डॉ. प्रकाश अमरावत, संयोजक–राजस्थानी	सदस्य (ऑनलाईन)
45	श्रीमती धनवन्तरी बिश्नोई–संयोजक–जी.पी.ई.एम.	सदस्य
46	डॉ. कमलेश खत्री, संयोजक– पंजाबी	सदस्य (ऑनलाईन)
47	डॉ. देवीशंकर शर्मा, संयोजक–जे.वी.जे.वी.	सदस्य (ऑनलाईन)
48	प्रो. ए.वी.सिंह मदनावत, संयोजक–मनोविज्ञान	सदस्य (ऑनलाईन)
49	श्री उमेश शर्मा, संयोजक पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान	सदस्य
50	डॉ. धर्मेश हरवानी ,कुलपति महोदय द्वारा नामित शिक्षक	सदस्य
51	डॉ. बिट्ठल बिस्सा, कार्यवाहक कुलसचिव	सदस्य सचिव

Scanned with CamScanner

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय द्वारा विद्या परिषद् बैठक में उपस्थित एवं ऑनलाईन माध्यम से जुड़े हुए समस्त माननीय सदस्यों का अभिनन्दन एवं स्वागत किया गया। विशेषकर विद्या परिषद् में नव–मनोनीत माननीय सदस्य प्रो. राज सेनानी, माननीय कुलाधिपति महोदय के नामित सदस्य, राज्य सरकार से पुन मनोनीत डॉ. श्रवण कुमार सैनी, डॉ. एच.आर. नियाजी, डॉ. भंवर लाल विश्नोई, डॉ. निधि अग्रवाल, शासन सचिव उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि डॉ. राकेश हर्ष, सहायक निदेशक–कॉलेज शिक्षा,नव मनोनीत संकायाध्यक्ष डॉ. जी.पी. सिंह, डॉ. बी.एस. रतन, डॉ. भगवाना राम विश्नोई, नव मनोनीत सदस्य डॉ. रचना माथुर, डॉ. सीमा शर्मा, डॉ. नरेन्द्र नाथ, डॉ. शेर मोहम्मद, डॉ. संतलाल, डॉ. राजेश भाकर, डॉ. ज्योति कपूर, डॉ. इन्द्रा गोस्वामी, डॉ. अम्बिका ढाका, डॉ. आशा शर्मा, डॉ. अनन्त जोशी, डॉ. सतपाल स्वामी, डॉ. यशवंत गहलोत, डॉ. ई. ए. हैदरी, डॉ. ऋषभ जैन, डॉ. नरेश पवार, डॉ. अमर सिंह, डॉ. प्रकाश अमरावत, श्रीमती धनवन्तरी विश्नोई, डॉ. कमलेश खत्री, डॉ. देवीशंकर शर्मा, प्रो. ए.वी. सिंह मदनावत, श्री उमेश शर्मा एवं डॉ. धर्मेश हरवानी का स्वागत किया गया।

सदन द्वारा विद्या परिषद् के निवर्तमान माननीय सदस्य प्रो. हैरंभ चतुर्वेदी, डॉ. वी.एन. सिंह, डॉ. आर.सी. श्रीवास्तव, डॉ. संध्या जैन, डॉ. मीरा श्रीवास्तव, डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह, डॉ. रंजन सक्सेना, डॉ. उषा कंवर, डॉ. चन्द्रशेखर कच्छावा, डॉ. एस.एस. पूनिया, डॉ. कविता चौधरी एवं डॉ. अभिषेक वशिष्ठ द्वारा विद्या परिषद् बैठक में दिये गए सहयोग की सराहना की गई।

माननीय सदस्यों ने सदस्य सचिव ने जानकारी चाही कि उक्त विद्या परिषद् बैठक में रखे गए समस्त मदों का प्रशासनिक, शैक्षणिक एवं वित्तीय दृष्टिकोण से नियमानुसार परीक्षण करवा लिया गया है।

तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य सचिव द्वारा सदन के समक्ष बिन्दुवार मद प्रस्तुत किये गए जिन पर सदस्यों द्वारा विचार–विमर्श उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गए :–

मद संख्या	मद
01	दिनांक 29–06–2020 को सम्पन्न हुई विद्या परिषद् की 19वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि का प्रस्ताव। **परिशिष्ट–1** (पृष्ठ संख्या : 1–16)
निर्णय	**पुष्टि की गई।**
02	दिनांक 29–06–2020 को सम्पन्न हुई विद्या परिषद् की 19वीं बैठक में लिये गए निर्णयों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट (ATR) के अनुमोदन का प्रस्ताव। **परिशिष्ट–2** (पृष्ठ संख्या :17–62)
निर्णय	**पुष्टि की गई।**

Scanned with CamScanner

03	दिनांक 18–09–2020 को सम्पन्न हुई विद्या परिषद् की विशेष बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि का प्रस्ताव। **परिशिष्ट–3** (पृष्ठ संख्या :63–65)
निर्णय	**पुष्टि की गई।**
04	दिनांक 18–09–2020 को सम्पन्न हुई विद्या परिषद् की विशेष बैठक में लिये गए निर्णयों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट (ATR) के अनुमोदन का प्रस्ताव। **परिशिष्ट–4** (पृष्ठ संख्या : 66–68)
निर्णय	**पुष्टि की गई।**
05	दिनांक 12–04–2021 को सम्पन्न हुई विद्या परिषद् की विशेष बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि का प्रस्ताव। **परिशिष्ट–5** (पृष्ठ संख्या : 69–72)
निर्णय	**पुष्टि की गई।**
06	दिनांक 12–04–2021 को सम्पन्न हुई विद्या परिषद् की विशेष बैठक में लिये गए निर्णयों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट (ATR) के अनुमोदन का प्रस्ताव। **परिशिष्ट–6** (पृष्ठ संख्या : 73)
निर्णय	**पुष्टि की गई।**
07	प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 की धारा 12(6) के प्रावधानुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा संकायाध्यक्षों क्रमशः वाणिज्य, कला, विज्ञान, विधि एवं सामाजिक विज्ञान की नियुक्ति की गई। समस्त आदेश पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। **परिशिष्ट–7** (पृष्ठ संख्या : 74–79)
निर्णय	**पुष्टि की गई।**
08	विभिन्न विषयों के अध्ययन मण्डलों एवं पाठ्यक्रम समिति द्वारा प्रस्तुत किये गए पाठ्यक्रम अनुमोदन का प्रस्ताव :– **परिशिष्ट–8** (पृष्ठ संख्या 80–159)

क्र. स.	संकाय	विषय	कार्यवाही विवर की पृष्ठ संख्या
1	कला	हिन्दी (02–07–2021)	80–81
2		अंग्रेजी (02–07–2021)	82–83
3		संस्कृत (12–07–2021)	84
4		उर्दू (03–07–2021)	85
5		पंजाबी (03–07–2021)	86
6		राजस्थानी (29–06–2021)	87
7		चित्रकला (29–06–2021)	88

Scanned with CamScanner

8		संगीत (12–07–2021)	89	
9		दर्शनशास्त्र (05–07–2021)	90	
		मनोविज्ञान (01–07–2021)	91–92	
10	वाणिज्य	ए.बी.एस.टी. (28–06–2021)	93–94	
11		व्यवसायिक प्रशासन(28–06–2021)	95–96	
12		ई.ए.एफ.एम. (28–06–2021)	97	
13	विज्ञान	भौतिक विज्ञान (02–07–2021)	98–99	
14		रसायनशास्त्र (02–07–2021)	100–104	
15		वनस्पतिशास्त्र (05–07–2021)	105–109	
16		प्राणी विज्ञान (03–07–2021)	110–111	
17		गणित (03–07–2021)	112–113	
18		भू–गर्भ विज्ञान (03–07–2021)	114–115	
19		जैव तकनीकी (03–07–2021)	116	
20		सूक्ष्म जीव विज्ञान (29–06–2021)	117	
21		कम्प्यूटर विज्ञान (29.06.2021)	118	
22		पर्यावरण विज्ञान (05–07–2021)	119–120	
23		सैन्य विज्ञान (03–07–2021)	121	
24	विधि	विधि (30–06–2021)	122–125	
25	सामाजिक विज्ञान	अर्थशास्त्र (12–07–2021)	126–128	
26		राजनीति विज्ञान (22–07–2021)	129	
27		समाजशास्त्र (05–07–2021)	130	
28		इतिहास (12–07–2021)	131	
29		भूगोल (03–07–2021)	132–134	
30		लोक प्रशासन (05–07–2021)	135	
31		गृह विज्ञान (03–07–2021)	136	
32		जी.पी.ई.एम. (29–06–2021)	137	
33		जे.वी.जे.वी. (03–07–201)	138	
34	शिक्षा	शिक्षा (30–06–2021)	139–140	
35		शारीरिक शिक्षा (30–06–2021)	141	
36		योग (30–06–2021)	142	
37		पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान (30–06–2021)	143–144	

निर्णय : सत्र 2021–22 के पाठ्यक्रमों में अध्ययन बोर्ड द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020–21 के पाठ्यक्रम के अतिरिक्त प्रस्तुत संशोधन को अस्वीकार करते हुए सत्र 2020–21 के के अनुसार ही सत्र 2021–22 के पाठ्यक्रम अनुमोदित किये गए। साथ ही अध्यक्ष महोदय ने समस्त अध्ययन बोर्ड के संयोजकों को निर्देशित किया कि वे दिनांक 25–11–2021 तक पाठ्यक्रम हस्ताक्षरित कर विश्वविद्यालय को प्रेषित करे।

Scanned with CamScanner

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">विश्वविद्यालय में संचालित विभागों के विभिन्न विषयों के सी.बी.सी.एस. एवं ग्रेडिंग सिस्टम अध्ययन मण्डलों एवं पाठ्यक्रम समिति द्वारा प्रस्तुत किये गए पाठ्यक्रम अनुमोदन का प्रस्ताव :–</td></tr>
<tr><td></td><td>1</td><td>कला</td><td>अंग्रेजी (13–09–2021)</td><td>145</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>चित्रकला (13–09–2021)</td><td>146</td></tr>
<tr><td></td><td>2</td><td>वाणिज्य</td><td>व्यावसायिक प्रबंधन (13–09–2021)</td><td>147</td></tr>
<tr><td></td><td>3</td><td>विज्ञान</td><td>सूक्ष्मजीव विज्ञान (13–09–2021)</td><td>148</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>पर्यावरण विज्ञान (13–09–2021)</td><td>149–150</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>कम्प्यूटर विज्ञान (13–09–2021)</td><td>151–152</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>सैन्य विज्ञान (13–09–2021)</td><td>153</td></tr>
<tr><td></td><td>4</td><td>विधि</td><td>विधि (13–09–2021)</td><td>154</td></tr>
<tr><td></td><td>5</td><td>सामाजिक विज्ञान</td><td>इतिहास (13–09–2021)</td><td>155</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>भूगोल (13–09–2021)</td><td>156–157</td></tr>
<tr><td></td><td>6</td><td>शिक्षा</td><td>पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान (13–09–2021)</td><td>158</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>योग (13–09–2021)</td><td>159</td></tr>
<tr><td>निर्णय</td><td colspan="4">विश्वविद्यालय परिसर में संचालित सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत पाठ्यक्रमों में सत्र 2021–22 से सी.बी.सी.एस. एवं ग्रेडिंग सिस्टम के अनुसार पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की सहमति प्रदान करते हुए पाठ्यक्रमों पर अंतिम निर्णय लेने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।</td></tr>
<tr><td>09</td><td colspan="4">विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में छात्रों के प्रवेश के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी की जाने वाली प्रवेश–नीति 2021–22 को अंगीकृत करने एवं विश्वविद्यालय परिसर में संचालित विभागों/पाठ्यक्रमों में सत्र 2021–22 से प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय प्रवेश नीति का प्रारूप अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।
परिशिष्ट–9 (पृष्ठ संख्या : 160–161)</td></tr>
<tr><td>निर्णय</td><td colspan="4">विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय नियमों के साथ–साथ राज्य सरकार की प्रवेश नीति–2021–22 को अंगीकृत करने का निर्णय लिया गया। साथ ही विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय प्रवेश नीति–2021 के प्रारूप पर समस्त माननीय सदस्यों से 05 दिवस में सुझाव प्राप्त कर अंतिम निर्णय लेने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया। उक्त प्रवेश नीति में शैक्षणिक स्तर को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुरूप आरक्षण एवं न्यूनतम प्रतिशत अंक की पालना सुनिश्चित की जाए। साथ ही निर्देशित किया गया कि विश्वविद्यालय प्रवेश नीति में शासकीय नियमों एवं विश्वविद्यालय आर्डिनेंस का उल्लघंन नही हो।</td></tr>
<tr><td>10</td><td colspan="4">प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2020–21 नवीन महाविद्यालयों(सूची संलग्न) को अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की गई जो पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।</td></tr>
</table>

Scanned with CamScanner

	परिशिष्ट–10 (पृष्ठ संख्या : 162)
निर्णय	पुष्टि की गई।
11	प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय के सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग में सत्र 2020 में एम. एस.सी. पूर्वार्द्ध हेतु सत्र 2020–21 में सीटें 20 के स्थान पर 30 की गई है। उक्त आदेश पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। परिशिष्ट–11 (पृष्ठ संख्या :163)
निर्णय	पुष्टि की गई।
12	प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय में सत्र 2020–21 में विभिन्न कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों नियमित एवं स्वयंपाठी को आगे की कक्षा में क्रमोन्नत किया गया है। उसी प्रकार Ex-Students को भी अगली कक्षा में प्रवेश दे दिया गया है। उक्त प्रकरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। परिशिष्ट–12 (पृष्ठ संख्या :164)
निर्णय	पुष्टि की गई।
13	प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय विद्या परिषद की 18 वीं बैठक दिनांक 13.07.2019 के विनिर्णय संख्या 10 के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम, 2018 को अंगीकृत करने के उपरान्त प्रबंध बोर्ड की 32 वीं बैठक दिनांक 06.08.2019 के निर्णय संख्या 405 के द्वारा अनुमोदन किया गया। इसी क्रम में संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक F.1(6)Edu.4/2010 दिनांक 19.08.2020 के द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों हेतु यूजीसी विनियम, 2018 अंगीकृत किया गया है। राज्य सरकार के उक्त पत्र के बिन्दु संख्या 5 "The provisions of Regulation, 2018 shall be strictly applicable for grant of CAS (excluding post of Senior Professor) from the date of issue of orders by the State Government for adoption of Regulation, 2018" के अनुसार उक्त विनियम आंशिक संशोधनों सहित दिनांक 19.08.2020 से प्रभावी किया गया है। अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम, 2018 को राज्य सरकार के पत्र के अनुसार दिनांक 19.08.2020 से विश्वविद्यालय में अंगीकृत/प्रभावी किये जाने के संबंध में प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष पुनर्विचार/निर्णयार्थ प्रस्तुत है। परिशिष्ट–13 (पृष्ठ संख्या :165–169)
निर्णय	पूर्व में अंगीकृत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम, 2018 में राज्य सरकार के दिनांक 19–08–2020 के द्वारा प्रदत्त निर्देश के साथ संशोधन सहित अंगीकृत करने की अनुशंसा की गई। साथ ही इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले निर्देशों को अंतिम मानते हुए कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई।

Scanned with CamScanner

14	माननीय मंत्री भारी उद्योग एवं लोक उद्यम और संसदीय कार्य राज्य मंत्री भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा विद्यार्थी संगठन से प्राप्त अभ्यावेदन पत्र के आधार पर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में वाणिज्य संकाय के सभी विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाऐं प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में आवश्क कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निवेदन किया गया है। उपरोक्त क्रम में विश्वविद्यालय पत्रांक 27148 दिनांक 14.01.2021 के द्वारा विश्वविद्यालय में वाणिज्य संकाय हेतु लेखा और व्यवसाय सांख्यिकी (ABST) एवं आर्थिक प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन (EAFM) विभागों की स्थापना हेतु निवेदन किया गया है। परिशिष्ट–14 (पृष्ठ संख्या : 170–171)
निर्णय	पुष्टि की गई।
15	विद्या परिषद् की 18वीं बैठक दिनांक 13.07.2019 के विनिर्णय संख्या 02 की पालना में विश्वविद्यालय ऑर्डिनेंस मे उल्लेखित प्रावधानों के अतिरिक्त जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा सम्मिलित है, ऐसे विषयों में सत्र 2021–22 से स्वयंपाठी के रूप में परीक्षा की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। उक्त आदेश पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। परिशिष्ट–15 (पृष्ठ संख्या : 172)
निर्णय	पुष्टि की गई।
16	प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय में संचालित पांच वर्षीय बी.ए.एल.एल.बी. ऑनर्स एकीकृत पाठ्यक्रम का शुल्क विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 25393 दिनांक 21.11.2019 द्वारा निर्धारित किया गया। उक्त आदेश पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। परिशिष्ट–16 (पृष्ठ संख्या : 173)
निर्णय	पुष्टि की गई।
17	प्रतिवेदित है कि संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रप–4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के पत्रांक 26(1)शिक्षा–4/2015 दिनांक 28.12.2020 के अनुसरण में सत्र 2021–22 हेतु सम्बद्धता शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि में अभिवृद्धि करते हुए 28–02–2021 तक निर्धारित की गई। उक्त आदेश पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। परिशिष्ट–17 (पृष्ठ संख्या : 174)
निर्णय	पुष्टि की गई।
18	प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 186 दिनांक 14.03.2021 के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी, पं. मदन मोहन मालवीय, महाराजा गंगा सिंह एवं स्वामी विवेकानन्द शोध पीठ की स्थापना की गई। उक्त आदेश अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। परिशिष्ट–18 (पृष्ठ संख्या :175)
निर्णय	पुष्टि की गई। साथ ही भविष्य में महात्मा ज्योतिबा राव फूले शोधपीठ स्थापित करने

Scanned with CamScanner

	के सुझाव पर सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।
19	प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 35038 दिनांक 14.03.2021 के द्वारा विद्या परिषद् की 18वीं बैठक दिनांक 13.07.2019 के विनिर्णय संख्या 27 एवं प्रबन्ध बोर्ड की 32वीं बैठक दिनांक 06.08.2019 के विनिर्णय संख्या 405 की पालना में विश्वविद्यालय में संचालित विभागों के दो पीएच.डी. शोधार्थियों को शोध प्रबन्ध जमा कराने अथवा अधिकतम तीन वर्ष की अवधि जो भी पहले हो तक राशि रूपये 2,000/– प्रति माह छात्रवृति आगामी सत्र 2021–22 से प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त स्वीकृति अनुमोदित नियमावली के अनुरूप होगी। उक्त आदेश पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। परिशिष्ट–19 (पृष्ठ संख्या : 176)
निर्णय	पुष्टि की गई।
20	प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 35047 दिनांक 14.03.2021 के द्वारा विद्या परिषद् की 18वीं बैठक दिनांक 13.07.2019 के विनिर्णय संख्या 27 एवं प्रबन्ध बोर्ड की 32वीं बैठक दिनांक 06.08.2019 के विनिर्णय संख्या 405 की पालना में विश्वविद्यालय में शोध एवं अनुसंधान को बढावा देने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय परिसर में कार्यरत शिक्षकों को लधु शोध परियोजना के तहत राशि रूपये 2.00 लाख तक वित्तीय सहायता आगामी शैक्षणिक सत्र 2021–22 से देने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त आदेश पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। परिशिष्ट–20 (पृष्ठ संख्या : 177)
निर्णय	उक्त आदेश की पुष्टि करते हुए सम्बद्व महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए विश्वविद्यालय में केन्द्रीय शोध केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इस सम्बन्ध में परीक्षण करते हेतु अनुशंसा/प्रस्ताव तैयार करने हेतु निम्नानुसार समिति गठित करने का निर्णय लिया गया :– 1. माननीय कुलपति – अध्यक्ष 2. प्रो. अनिल कुमार छंगाणी, विभागाध्यक्ष पर्यावरण विज्ञान 3. डॉ. जी.पी. सिंह, प्राचार्य, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर 4. डॉ. राकेश हर्ष, सहायक निदेशक,कॉलेज शिक्षा, बीकानेर 5. डॉ. नरेन्द्र भोजक, व्याख्याता, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर 6. डॉ. प्रताप सिंह, व्याख्याता, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर 7. डॉ. गौतम मेघवंशी, सहायक आचार्य, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय 8. डॉ. ज्योति लखाणी, सहायक आचार्य, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय 9. निदेशक शोध – सदस्य सचिव। उक्त समिति विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर 02 माह में अपनी अनुशंसा/रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
21	स्नातकोत्तर अन्तिम वर्ष के नियमित छात्रों को **Case Study/Dissertation** की

Scanned with CamScanner

	पात्रता के सम्बन्ध में:– स्नातकोत्तर अन्तिम वर्ष के नियमित छात्रों ने एक प्रश्न पत्र के रूप में Case Study/Dissertation चुना है। नियमानुसार Case Study/Dissertation वही छात्र लेने हेतु पात्र है जिसके पूर्वार्द्ध में 55 प्रतिशत अंक है। कोविड महामारी के चलते पूर्वार्द्ध परीक्षा–2020 में राज्य सरकार की गाईड लाईन पत्र क्रमांक P.3(7)Education-4/2014/Part दिनांक 03.09.2020 के अनुसरण में विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 12.04.2021 के निर्णयानुसार स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध के सभी छात्रों की परीक्षाऐं आयोजित नहीं किये जाने के फलस्वरूप प्रमोट करके प्रमोशन सर्टिफिकेट जारी किये गये है, इसलिये छात्रों की पात्रता 55 प्रतिशत अंक जांच करना संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में अन्तिम वर्ष के जिन छात्रों ने Case Study/Dissertation का चयन किया है। उन छात्रों को इस हेतु स्वीकृति दी गई है अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष पुष्टी हेतु प्रस्तुत है। परिशिष्ट–21 (पृष्ठ संख्या :178–179)
निर्णय	पुष्टि की गई।
22	दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2019 तक विद्या वाचस्पति की उपाधियों के अनुमोदन के संदर्भ में। दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2019 तक विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों में 55 शोधार्थियों को विद्या वाचस्पति की उपाधि प्रदान की गई है (सूची संलग्न)। विद्या वाचस्पति धारियों को उपाधि धारण करने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। परिशिष्ट–22 (पृष्ठ संख्या : 180–186)
निर्णय	अनुमोदन किया गया।
23	शोध ग्रन्थ जमा कराने हेतु दिनांक 30.06.2020 की अवधि वाले शोधार्थियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार 31.12.2021 तक अवधि बढ़ाने की स्वीकृति का प्रस्ताव यूजीसी द्वारा पूर्व में M.Phil व Ph.D. के शोधार्थियों को Covid-19 की परिस्थितियों के कारण शोध प्रबंध जमा हेतु 6 माह की अवधि बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उसे आदेश क्रमांक F.4-2/2018(BSR) दिनांक 02.06.2021 के अनुक्रम में दिनांक 31.12.2021 तक समयावधि और प्रदान की गई। उसी के अनुरूप विश्वविद्यालय द्वारा भी अधिसूचना क्रमांक 492–498 दिनांक 22.06.2021.के द्वारा सभी शोधार्थियों जिनकी शोध प्रबंध जमा करवाने के तिथि 31.12.2021 तक बढ़ाई गई। उक्त आदेश पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। परिशिष्ट–23 (पृष्ठ संख्या :187–195)
निर्णय	पुष्टि की गई।
24	साहित्यिक चोरी में लिप्त पाये जाने पर कार्यवाही किये जाने के प्रावधानों का निर्धारण करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

Scanned with CamScanner

	विद्या परिषद की 16वीं बैठक दिनांक 28.07.2017 के समक्ष साहित्यिक चोरी में लिप्त पाए जाने पर कार्यवाही किए जाने के प्रावधानों का निर्धारण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। प्रावधानों के निर्धारण हेतु निम्नानुसार समिति गठित की गई। 1. डॉ. बेला भनोत– अधिष्ठाता सामाजिक विज्ञान 2. डॉ. विभा शर्मा– अधिष्ठाता विधि 3. डॉ. उमाकान्त गुप्त–प्राचार्य,राज.एम.एस.महा., बीकानेर 4. डॉ. सतीश कौशिक–उपाचार्य राज. डूंगर महा., बीकानेर उक्त निर्णयानुसार साहित्यिक चोरी से सम्बंधित कई बैठकें गठित की गई परन्तु अभी भी अंतिम निर्णय प्रतीक्षित है। उक्त गठित कमेटी से तीन सेवानिवृत हो चुके हैं तथा डॉ. विभा शर्मा का दूसरे विश्वविद्यालय में स्थानान्तरण हो गया है। इसी बीच दिनांक 31.07.2018 को यूजीसी साहित्यिक चोरी पर नया गजट जारी हो चुका है। जिसके कुछ प्रावधान विश्वविद्यालय द्वारा लागू कर दिए गए हैं। इसके सभी शोध से सम्बंधित सभी प्रावधानों को महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में स्वीकार करने के लिए उक्त अध्यादेश प्रस्तुत है। परिशिष्ट–24 (पृष्ठ संख्या :196–213)
निर्णय	**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा साहित्यिक चोरी हेतु जारी गजट को अंगीकृत किया गया।**
25	**महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में एक ही संकाय के अन्तर्गत इंटरडिसिप्लनरी स्टडीज आरम्भ करने के बाबत प्रस्ताव।** छात्र श्रवण जाखड़, अध्यक्ष छात्र संघ, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के पत्र में एमपीसीईटी–2021 में कला संकाय के अन्तर्गत इंटरडिसिप्लनरी स्टडीज शुरू करने हेतु निवेदन किया हुआ है। राजस्थानी विषय की पंजीकृत शोध पर्यवेक्षक डॉ प्रकाश अमरावत सेवानिवृत हो गई है। यूजीसी द्वारा प्रत्येक होने वाली नेट परीक्षा में राजस्थानी विषय में जे.आर.एफ. प्रदान कर रही है चूंकि में राजस्थानी विषय का पंजीकृत शोध पर्यवेक्षक नहीं होने के कारण राजस्थानी विषय में शोध करने से वंचित रह जाते हैं। एमपीसीईटी–2021 से राजस्थानी विषय में सभी संकायों में इंटरडिसिप्लनरी स्टडीज आरम्भ करने की स्वीकृति का प्रस्ताव विद्याा परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णायार्थ प्रस्तुत है परिशिष्ट–25 (पृष्ठ संख्या : 214–228)
निर्णय	**उक्त मद पर निर्णय लेने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।**
26	**कोर्सवर्क (MPCET-2018) के फेज प्रथम एवं द्वितीय के पश्चात पाये गए राजस्थानी विषय में पात्र अभ्यर्थियों को डॉ. प्रकाश अमरावत को शोध पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करने की स्वीकृति का प्रस्ताव।** कोर्सवर्क (MPCET-2018) के फेज प्रथम एवं द्वितीय के पश्चात पाये गए राजस्थानी विषय में पात्र अभ्यर्थी (सीया चौधरी एवं सुमन शेखावत) है। उक्त दोनों अभ्यर्थियों को डॉ. प्रकाश अमरावत, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर को शोध पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। विश्वविद्यालय द्वारा MPCET-2018 हेतु

Scanned with CamScanner

	पंजीकृत शोध पर्यवेक्षकों से सीट/सहमति मांगी गई थी। उस वक्त डॉ. प्रकाश अमरावत के लगभग तीन वर्ष सेवानिवृति में शेष थे। चूंकि डॉ. प्रकाश अमरावत दिनांक 30.06.2021 को सेवा निवृत हो गई है।(MPCET-2018) कोर्सवर्क के उक्त दोनों पात्र अभ्यर्थियों ने Review of Literature प्रस्तुत किए हैं। विश्वविद्यालय में राजस्थानी विषय में दूसरा कोई पंजीकृत शोध पर्यवेक्षक उपलब्ध नहीं है। पूर्व में इसी प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने पर तात्कालिक माननीय कुलपति महोदय द्वारा विशेष अनुमति प्रदान की गई थी। वर्तमान में कोविड–19 की परिस्थितियों के मध्य नजर कोर्सवर्क परीक्षा में देरी के कारण यह परिस्थिति उत्पन्न हुई है। अतः कोर्सवर्क (MPCET-2018) के फेज प्रथम एवं द्वितीय के पश्चात पाये गए राजस्थानी विषय में पात्र अभ्यर्थियों को डॉ. प्रकाश अमरावत को शोध पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करने की स्वीकृति का प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णायार्थ प्रस्तुत है। परिशिष्ट–26 (पृष्ठ संख्या :229–232)
निर्णय	**विश्वविद्यालय क्षेत्राधिकार में राजस्थानी विषय में अन्य शोध निदेशक उपलब्ध नही होने के कारण विद्या परिषद् द्वारा राजस्थानी विषय में एम.पी.सी.ई.टी–2018 हेतु पात्र अभ्यर्थियों हेतु डॉ. प्रकाश अमरावत को शोध पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करने की सहमति प्रदान की गई। साथ ही निर्णय लिया गया यह सहमति विशेष कारण से दी गई है इसलिए इसे भविष्य में उदाहरण के रूप में नही ली जाए।**
27	**राजस्थानी विभाग से सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को गोल्ड मैडल प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्तावः–** प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय में राजस्थानी विभाग SFS स्कीम के तहत चलाया जा रहा है। 2018 में विभाग की स्थापना वर्ष में ही पूर्व/तत्कालीन कुलपति महोदय ने राजस्थानी विभाग से सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के लिए गोल्ड मैडल दिए जाने की घोषणा वर्ष 2018 के नवम्बर माह में विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय राजस्थानी कविता पाठ प्रतियोगिता में की गई थी। जिसे समाचार पत्रों में भी प्रमुखता से स्थान दिया गया था। अतः राजस्थानी विभाग से सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को गोल्ड मैडल प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णायार्थ प्रस्तुत है। परिशिष्ट–27 (पृष्ठ संख्या : 233–235)
निर्णय	**उक्त मद को अस्वीकार किया गया।**

Scanned with CamScanner

28	प्रतिवेदित है कि विद्या परिषद् की 19वीं बैठक दिनांक 29 जून, 2020 के विनिर्णय संख्या 08 की पालना में एवं प्रबन्ध मण्डल में लिये गये निर्णयानुसार राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नवीन विभाग सत्र 2020–21 से भूगोल, व्यावसायिक प्रशासन, प्रबन्धन एवं ड्राईंग एण्ड पेंटिंग को विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर सेमेस्टर प्रणाली में संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिनका शैक्षणिक शुल्क पूर्व में संचालित अन्य पाठ्यक्रमों के समान रखे जाने का निर्णय लिया गया। उपरोक्त क्रम में विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर सेमेस्टर प्रणाली में संचालित नॉन प्रायोगिक विषयों हेतु सेमेस्टर प्रथम एवं द्वितीय का परीक्षा शुल्क राशि 250/– सेमेस्टर तृतीय एवं चतुर्थ का 280/– तथा प्रायोगिक विषयों हेतु सेमेस्टर प्रथम एवं द्वितीय का परीक्षा शुल्क 350 एवं तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा शुल्क 380/– रूपये एवं ड्यू पेपर हेतु 200/– निर्धारित है। अतः विश्वविद्यालय में स्वीकृत नवीन पाठ्यक्रमों का परीक्षा शुल्क अन्य समानन्तर पाठ्यक्रमों के अनुसार रखा गया है। उक्त आदेश पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। परिशिष्ट–28 (पृष्ठ संख्या : 236–237)
निर्णय	**पुष्टि की गई।**
29	विद्या परिषद् की 19वीं बैठक दिनांक 29 जून, 2020 के विनिर्णय संख्या 08 की पालना एवं प्रबन्ध मण्डल में हुए अनुमोदन अनुसार राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नवीन वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग में संस्थापन अनुभाग की पत्रावली पर माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रदत्त आज्ञा के अनुपालना में स्नातकोत्तर स्तर पर व्यावसायिक प्रबन्धन (M.Com. Business Management) पाठ्यक्रम पूर्व में संचालित अन्य पाठ्यक्रमों अनुसार सेमेस्टर प्रणाली में संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त आदेश पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। परिशिष्ट–29 (पृष्ठ संख्या : 238–239)
निर्णय	**पुष्टि की गई।**
30	**श्रीमती बादो देवी सिहाग मैमोरियल गर्ल्स डिग्री कॉलेज, सिद्धमुख, चूरू को सत्र 2019–20 से पूर्णतः बन्द किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्तावः–** प्रतिवेदित है कि श्रीमती बादो देवी सिहाग मैमोरियल गर्ल्स डिग्री कॉलेज, सिद्धमुख ने अपने पत्रांक 105 दिनांक 05.03.2020 के द्वारा महाविद्यालय में सत्र 2019–20 से पूर्णतः बंद किए जाने का निवेदन किया गया था एवं सत्र 2020–21 में महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं का स्थानान्तरण चौधरी एम.एस.टाण्डी महाविद्यालय में किए जाने का निवेदन किया गया था विश्वविद्यालय पत्रांक 208 दिनांक 08.04.2021 के द्वारा महाविद्यालय के तृतीय वर्ष में अध्ययनरत छात्राओं का स्थानान्तरण चौधरी एम.एस. टाण्डी मैमोरियल गर्ल्स कॉलेज, सिद्धमुख में किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। अतः श्रीमती बादो देवी सिहाग मैमोरियल गर्ल्स डिग्री कॉलेज, सिद्धमुख को सत्र 2019–20 से पूर्णतः बन्द किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णायार्थ प्रस्तुत है। परिशिष्ट–30 (पृष्ठ संख्या :240–241)

Scanned with CamScanner

निर्णय	श्रीमती बादो देवी सिहाग मैमोरियल गर्ल्स डिग्री कॉलेज, सिद्धमुख को सत्र 2019–20 से पूर्णतः बन्द किए जाने का निर्णय लिया गया।
31	**विधि महाविद्यालयों से सत्र 2021–22 की सम्बद्धता अभिवृद्धि शुल्क (विश्वविद्यालय नियमानुसार) लिये जाने अथवा नहीं लिये जाने के सम्बन्ध में:–** राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग के पत्रांक निल दिनांक 22.07.2020 एवं डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर के पत्रांक 19/2020 दिनांक 27.07.2020, 125–134 दिनांक 21.08.2020, ALU/VCS/2020-21/11 दिनांक 15.10.2020 पत्रांक 1016–1125 दिनांक 16.12.2020 के अनुसरण में विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त समस्त विधि महाविद्यालयों की पत्रावलियां सम्बन्धित विधि विश्वविद्यालय को स्थानान्तरित की गई। सत्र 2021–22 से डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा विधि महाविद्यालयों के प्रथम वर्ष की परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा, परन्तु इस विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त विधि महाविद्यालयों के सत्र 2021–22 एवं 2022–23 की द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की परीक्षाओं का आयोजन महाराजा गंगा सिह विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा किया जाएगा। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त विधि महाविद्यालयों से सत्र 2021–22 की सम्बद्धता अभिवृद्धि शुल्क लिये जाने अथवा नहीं लिये जाने के सम्बन्ध में प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णायार्थ प्रस्तुत है। परिशिष्ट–31 (पृष्ठ संख्या :242–243)
निर्णय	**विश्वविद्यालय क्षेत्राधिकार के सम्बद्ध विधि महाविद्यालयों को सत्र 2021–22 की सम्बद्धता डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान विधि विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा प्रदान करने के कारण उक्त सत्र का सम्बद्धता शुल्क इस विश्वविद्यालय में नही लेने का निर्णय लिया गया। उक्त सत्र में जिन महाविद्यालयों द्वारा सम्बद्धता शुल्क विश्वविद्यालय में जमा करवाया गया है उन्हें लौटाने का निर्णय लिया गया।**
32	**सत्र 2020–21 का अस्थाई सम्बद्धता शुल्क हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में:–** विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2020–21 का सम्बद्धता शुल्क विधि महाविद्यालयों से नियमानुसार एवं पूर्व की भांति विश्वविद्यालय कोष में जमा कराया गया है। सत्र 2020–21 की 14 विधि महाविद्यालयों में से 12 विधि महाविद्यालयों की सम्बद्धता अभिवृद्धि जारी की गई है। विधि छात्रों (प्रथम वर्ष ड्यू पेपर, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष) की परीक्षाएं भी इस विश्वविद्यालय द्वारा ली गई है। डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के पत्रांक 1711–1720 दिनांक 13.07.2021 द्वारा सत्र 2020–21 का अस्थाई सम्बद्धता शुल्क हस्तान्तरित करने हेतु सूचित किया गया है। अतः उक्त प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णायार्थ प्रस्तुत है। परिशिष्ट–32 (पृष्ठ संख्या : 244–245)
निर्णय	**वित्तीय प्रावधानों का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार से मागदर्शन प्राप्त कर निर्णय करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।**

Scanned with CamScanner

पूरक मद

क्र.सं.	मद
33	शासन सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान सरकार के द्वारा परीक्षा–2021 के आयोजन हेतु निर्देश की पालना सुनिश्चित करने हेतु दिनांक 16.07.2021 तथा दिनांक 26–10–2021 को आयोजित अधिष्ठाता समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव। परिशिष्ट–33
निर्णय	दिनांक 18.07.2021 तथा दिनांक 26–10–2021 को आयोजित अधिष्ठाता समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।
34	विद्या परिषद् की 15 वीं बैठक दिनांक 31–08–2016 के विनिर्णय संख्या 25 के द्वारा विश्वविद्यालय में नवीन विभागों की स्थापना हेतु समस्त संकायों के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया था। उक्त अवधि में विश्वविद्यालय में विधि, भूगोल, वाणिज्य एवं प्रबन्धन तथा फाइन आर्ट्स (ड्राईंग एण्ड पेन्टिंग) नवीन विभाग राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये गए है। विद्यार्थियों एवं क्षेत्रीय मांग को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय में नवीन विभागों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत है।
निर्णय	विश्वविद्यालय परिसर में नवीन विभागों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।
35	रिनैसन्स महाविद्यालय, सिद्धमुख, तहसील–राजगढ़, जिला–चूरू की सत्र 2012–13 से अस्थाई सम्बद्धता अभिवृद्धि का प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। परिशिष्ट–34
निर्णय	उपरोक्त मद के साथ मद संख्या 38 पर भी विचार किया गया। तद्नानुसार न्यायिक निर्णयों के अतिरिक्त गत चार वर्षो से बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ एवं श्रीगंगानगर के सम्बद्ध महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा अनापति प्रमाण–पत्र जारी नही किया गया है, जिसके कारण विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता अभिवृद्धि नही की जा सकी, ऐसे महाविद्यालयों को आगामी सत्र 2022–23 से प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया।
36	विद्या परिषद् की 18वीं बैठक दिनांक 13.07.2019 के विनिर्णय संख्या 12 एवं प्रबन्ध बोर्ड की 32वीं बैठक दिनांक 06.08.2019 के विनिर्णय संख्या 405 की पालना में विश्वविद्यालय से अस्थाई सम्बद्ध निजी महाविद्यालयों में समस्त पाठ्यक्रमों के लिए इकजाई राशि 5.00 लाख रू. एवं स्थाई सम्बद्ध निजी महाविद्यालयों के लिए राशि 10.00 लाख रू. अक्षय निधि (Endowment Fund) का प्रावधान करने का निर्णय लिया गया था। उक्त निर्णय की पालना में विश्वविद्यालय द्वारा आदेश क्रमांक 14331 दिनांक 19–08–2019 जारी किया गया।

Scanned with CamScanner

	उक्त आदेश के क्रम में अध्यक्ष, प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन, राजस्थान द्वारा अनुरोध किया गया कि जिन महाविद्यालयों में केवल एक ही संकाय संचालित है, ऐसे महाविद्यालयों का एण्डोमेंट फण्ड (अक्षय निधि) पूर्व की भांति रखा जाये। **उक्त प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णायार्थ प्रस्तुत है।**
निर्णय	**प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।**
37	विद्या परिषद् की 18वीं बैठक दिनांक 13.07.2019 के विनिर्णय संख्या 02 की पालना में विश्वविद्यालय ऑर्डिनेंस में उल्लेखित प्रावधानों के अतिरिक्त जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा सम्मिलित है, ऐसे विषयों में सत्र 2020–21 से स्वयंपाठी के रूप में परीक्षा की अनुमति प्रदान नहीं करने का निर्णय लिया गया था। तत्समय कोरोना महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए विद्या परिषद् की 19 वीं बैठक दिनांक 29–06–2020 के विनिर्णय संख्या 02 (22) के द्वारा उक्त निर्णय को सत्र 2020–21 के लिए स्थगित रखते हुए सत्र 2021–22 से लागू करने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय की पालना में विश्वविद्यालय आदेश 9444 दिनांक 31–08–2021 प्रसारित किया गया। उपाध्यक्ष, एम.जी.एस.यू. बीकानेर द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि स्वयंपाठी छात्रों के शिक्षा का अधिकार के हित को देखते हुए उक्त निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया है। द्वितीय, प्राइवेट कॉलेज एसोसियेशन, राजस्थान द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत कर उक्त निर्णय को सत्र 2021–22 से लागू करने का अनुरोध किया गया है। उक्त प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णायार्थ प्रस्तुत है।
निर्णय	कोरोना काल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा सम्मिलित है, ऐसे विषयों में सत्र 2021–22 से स्वयंपाठी के रूप में परीक्षा की अनुमति प्रदान नहीं करने के प्रस्ताव को स्थगित करते हुए आगामी सत्र से लागू करने की सहमति प्रदान की गई।
38	सम्बद्ध महाविद्यालयों की लम्बित अस्थाई सम्बद्धता अभिवृद्धि के प्रकरण मय तथ्यात्मक विवरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। परिशिष्ट–35
निर्णय	न्यायिक प्रकरणों के अतिरिक्त गत चार वर्षो से बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ एवं श्रीगंगानगर के सम्बद्ध महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा अनापति प्रमाण–पत्र जारी नही किया गया है जिसके कारण विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता अभिवृद्धि नही की जा सकी, ऐसे महाविद्यालयों को आगामी सत्र 2022–23 से प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने रोक लगाने का निर्णय लिया गया।
39	प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय में स्वीकृत नवीन विभाग वाणिज्य एवं प्रबन्धन के अन्तर्गत प्रथमतः व्यवसायिक प्रबन्धन विषय प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया। उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश शुल्क का निर्धारण माननीय कुलपति

Scanned with CamScanner

	महोदय की स्वीकृति से आदेश क्रमांक 14342 दिनांक 26–10–2021 जारी किया गया। उक्त आदेश विद्या परिषद् के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। परिशिष्ट–36
निर्णय	पुष्टि की गई।
40	पब्लिकेशन नीति एवं पब्लिकेशन आवेदन पत्र का प्रारूप विद्या परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। परिशिष्ट–37
निर्णय	मद संख्या 40, 42, 43, 44, 45 एवं 46 पर समस्त सदस्यों से 10 दिवस में तथा मद संख्या 41 में 05 दिवस में सुझाव प्राप्त कर अनुशंसित करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।
41	विश्वविद्यालय में प्रवेश नीति का प्रारूप विद्या परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। परिशिष्ट–38
निर्णय	मद संख्या 40 के अनुसार।
42	अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी नीति के प्रारूप विद्या परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। परिशिष्ट–39
निर्णय	मद संख्या 40 के अनुसार।
43	शोध उन्नयन नीति के प्रारूप विद्या परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। परिशिष्ट–40
निर्णय	मद संख्या 40 के अनुसार।
44	विश्वविद्यालय खेल नीति के प्रारूप विद्या परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। परिशिष्ट–41
निर्णय	मद संख्या 40 के अनुसार।
45	एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के प्रारूप विद्या परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। परिशिष्ट–42
निर्णय	मद संख्या 40 के अनुसार।
46	विश्वविद्यालय में स्थापित महात्मा गाँधी शोधपीठ, महाराजा गंगा सिंह शोधपीठ, स्वामी विवेकानन्द शोधपीठ तथा पं. मदन मोहन मालवीय शोधपीठ में सत्र 2021–22 से आवंटित बजट के अनुरूप कार्ययोजना प्रारूप के अनुमोदन का प्रस्ताव।

Scanned with CamScanner

	परिशिष्ट–43
निर्णय	मद संख्या 40 के अनुसार।
47	परीक्षा 2019 में स्नातक एवं स्नातकोत्तर के अंतिम वर्षो की कक्षा में उत्तीर्ण 105300 अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान की जानी है। साथ ही 01 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 की अवधि में शोध कार्य सम्पन्न कर चुके 55 अभ्यर्थियों को विद्या वाचस्पति उपाधि प्रदान की जानी है। उपाधि के ग्रेस पास करने एवं परीक्षा 2019 में वाणिज्य संकाय की छात्रा सुश्री गुंजन टोडी को कुलाधिपति पदक, विज्ञान संकाय की छात्रा सुश्री मोना रानी मुंजाल को कुलपति पदक एवं प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 56 अभ्यर्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान करने का प्रस्ताव विद्या परिषद् के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। परिशिष्ट–44
निर्णय	विद्या परिषद् द्वारा उपाधियों का ग्रेस पास करते हुए पदक प्रदान करने की अनुशंसा की गई।
48	विश्वविद्यालय विभागों यथा पर्यावरण विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, इतिहास, अंग्रेजी विधि, भूगोल, वाणिज्य एवं प्रबन्धन तथा फाइन आर्ट्स (ड्राईग एण्ड पेन्टिंग) में राज्य सरकार से स्वीकृत रिक्त पदों पर चयन किया जाना है। साथ ही अंग्रेजी, इतिहास, पर्यावरण विज्ञान, सूक्ष्म जीव एवं कम्प्यूटर विज्ञान विभागों में कार्यरत सहायक आचार्यो को सी.ए.एस. का लाभ प्रदान किया जाना है। चयन समिति/स्क्रीनिंग समिति में विषय विशेषज्ञों को सम्मिलित करने हेतु विषय विशेषज्ञों का पैनल अनुमोदन का प्रस्ताव। पैनल बैठक के दौरान प्रस्तुत किये जाएंगे। परिशिष्ट–45
निर्णय	विशेष विशेषज्ञ पैनल को अनुशंसित किया गया।
49	विद्या परिषद् की 17वीं बैठक दिनांक 21–05–2018 के विनिर्णय संख्या 25 के अनुसार परीक्षा 2018 की उपाधियों में विद्यार्थियों के फोटो एवं उपाधियों को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड कर ऑनलाईन सत्यापन की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था। उक्त निर्णय के क्रम में विद्या परिषद् की 18 वीं बैठक दिनांक 13–07–2019 में परीक्षा नियत्रंक द्वारा अवगत कराया कि परीक्षा 2018 में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर सफल विद्यार्थियों के विवरण की जांच करने पर पाया गया कि अनेकों विद्यार्थियों के फोटो अस्पष्ट व धुंधली होने के कारण पहचान योग्य नहीं है। अतः दीक्षान्त समारोह के निकटता एवं व्यवहारिक कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में लिये गए निर्णय पर पुनः विचार करते हुए परीक्षा 2018 की उपाधि परीक्षा 2017 के अनुरूप (बिना फोटो) मुद्रित करवाये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय स्तर पर गठित क्रय समिति के स्तर पर कार्यवाही करने एवं कार्यवाही पर निर्णय करने हेतु माननीय कुलपति

Scanned with CamScanner

	महोदय को अधिकृत किया गया। परीक्षा नियंत्रक द्वारा पुनः परीक्षा 2019 की उपाधि भी परीक्षा 2017 के अनुरूप (बिना फोटो) के मुद्रित कराने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।
निर्णय	परीक्षा नियंत्रक के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए परीक्षा 2019 की उपाधियों में फोटो मुद्रित कराने का निर्णय लिया गया।
50	विद्या परिषद् की 19 वीं बैठक दिनांक 29–06–2020 में विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के अंतर्गत संचालित M.A. History (Medieval), M.A. Archaeology and M.A. Genaeology and Community History में प्रवेशित विद्यार्थियों की अंकतालिका में विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर ने पत्र कमांक 4192 दिनांक 01.11.2019 के द्वारा उनके विभाग मे संचालित उक्त पाठ्यक्रमों की अंकतालिका में पाठ्यक्रमों का नाम निम्नानुसार अंकित करने का अनुरोध किया :– M.A. History (Medieval) M.A. History (Arechaeology) M.A. History (Genaeology and community History) उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद् ने विनिर्णय संख्या 22 के द्वारा जिस कक्षा में प्रवेश लिया है तथा परीक्षा दी है उसी कक्षा में उसे उपाधि प्रदान करने का निर्णय लिया गया था। परीक्षा नियंत्रक द्वारा परीक्षा 2019 में प्रथम बार मुद्रित होने वाली उपाधि/सर्टिफिकेट के प्रारूप अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये है :– 1. M.A. History (Archaeology) 2. M.A. History (Geneology and Community History) 3. M.Sc. Cyber Security 4. Bachelor of Library and Information Science 5. M.Sc. Computer Science (Lateral Entry) 6. P.G. Diploma in Geoinformatics and Remote Sensing 7. P.G. Diploma in Translation उपरोक्तानुसार प्रस्ताव विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।
निर्णय	उक्त प्रस्ताव पर समस्त सदस्यों से 10 दिवस में सुझाव प्राप्त कर अनुशंसित करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।
51	वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को स्नातक स्तर पर सम्बद्धता जारी करते समय प्रायोगिक विषय में आवंटित सीटो के 50 प्रतिशत की सीमा तक विद्यार्थियों को प्रवेश देने की अनुमति प्रदान की जाती है। निजी महाविद्यालयों के संगठनों द्वारा समय–समय पर यह मांग की जा रही है कि उनको आवंटित सीटों के अनुसार ही प्रायोगिक विषय में विद्यार्थियों को प्रवेश देने की स्वीकृति प्रदान की जाए। प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।
निर्णय	विद्या परिषद् द्वारा महाविद्यालयों को स्नातक स्तर आवंटित सीटों के अनुसार प्रायोगिक विषय में प्रवेश लेने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

Scanned with CamScanner

टेबल मद

क्र.सं.	मद
52	प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा 2019 हेतु प्रदान की जाने वाली उपाधि के मुद्रण हेतु उपाधियों में सुरक्षात्मक मानदण्ड क्रय समिति की अनुशंसा पर माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति से निर्धारित कर क्रमांक 15523 दिनांक 18–11–2021 के द्वारा निविदा जारी की गई है। सुरक्षा मानदण्ड संलग्न है। प्रकरण विद्या परिषद के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।
निर्णय	पुष्टि की गई।
53	प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालयों विभागों में संचालित पाठ्यक्रमों (सूची संलग्न) को सत्र 2021–22 से स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत संचालित करने का निर्णय लिया गया तथा स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत संलग्न सूची अनुसार सत्र 2021–22 नवीन पाठ्यक्रम/डिप्लोमा प्रारम्भ किये जा रहे है। पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।
निर्णय	पुष्टि की गई।
54	प्रतिवेदित है कि प्रतियोगी परीक्षाओं एवं विश्वविद्यालय परीक्षाओं के एक साथ आयोजन होने की स्थिति में प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु विशेष परीक्षा आयोजन कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है। पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।
निर्णय	पुष्टि की गई।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

(1) विश्वविद्यालय परिसर में संचालित विभागों में अध्यनरत विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली उपाधियों में सेमेस्टर प्रणाली का उल्लेख किया जाए।

(2) सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं अन्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की विषयवार सूची प्राप्त कर 'विषय विशेषज्ञ सूची'' विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड की जाए ताकि उनका उपयोग परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा एवं विश्वविद्यालय के अन्य कार्यो हेतु लिया जा सके।

अंत में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

कुलसचिव

Scanned with CamScanner